न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,देहरादून।
प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या 1137/2026
राज्य बनाम अज्ञात

प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी–संजय पंडिता आयु 65 वर्ष पुत्र श्री प्रेमनाथ पंडिता, निवासी–मकान नंबर–20/5, जाखन राजपुर देहरादून।

मु0अ0सं0–59/2026
धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–डालनवाला, देहरादून।

दिनांक 06.04.2026

प्रार्थी श्री संजय पंडिता की ओर से यह वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या–59/2026, अन्तर्गत धारा–303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना डालनवाला, जिला देहरादून जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार कोन्दल, वाहन पंजीकरण संख्या UK 07 AT 2952 को अपने पक्ष में रिलीज कराने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी उपरोक्त वाहन को अपने पक्ष में रिलीज करवाना चाहता है। प्रार्थी उपरोक्त वाहन रिलीज करवाने हेतु न्यायालय में जमानत/अण्डर टेकिंग देने को तैयार है तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जब माननीय न्यायालय चाहेगा प्रार्थी वाहन को प्रस्तुत कर देगा। अतः उपर्युक्त वाहन को प्रार्थी के पक्ष में रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

इस संबंध में संबंधित थाना डालनवाला देहरादून से रिपोर्ट मंगाई गई, जिसके अनुसार उपर्युक्त वाहन मुकदमा अपराध संख्या–59/2026, अन्तर्गत धारा–303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना परिसर में निरूद्ध होना बताया गया है।

प्रार्थी की ओर से उक्त वाहन के सम्बन्ध में आर0सी व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत किया गया, जिसके अवलोकन से प्रार्थी उपर्युक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होना प्रतीत होता है। वाद के निस्तारण में अभी विलम्ब है, तब तक उपर्युक्त वाहन को थाने पर रखा गया तो उसके खराब होने का अन्देशा हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य एआईआर 2003 सु0को0 पेज 638 में यह निर्देश दिए हैं कि माल को अनावश्यक रूप से थाना परिसर में न रखा जाय।

उक्त परिस्थितियों में उपर्युक्त वाहन संख्या UK 07 AT 2952 उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में निम्न शर्तो पर रिलीज किया जाता हैः–

1. प्रार्थी मु0 40,000/–(चालीस हजार रूपये) रू0 की धनराशि का बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू पेश करे।

2. प्रार्थी इस बात की अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि वह विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपरोक्त वाहन, को अपने स्वयं के खर्चे पर पेश करेगा।

3. यह कि दौरान विचारण वह वाहन को न किसी को बेचेगा, न किसी अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करेगा व न ही उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन करेगा।

4. प्रार्थी पेश किये गये दस्तावेजो की फोटोप्रति पत्रावली पर दाखिल करेगा।

संबंधित थानाध्यक्ष, देहरादून को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत वाहन की फोटोग्राफी नियमानुसार करवाकर पंचनामा तैयार करने के उपरान्त यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो, उसे इस मामले में, उसके पंजीकृत स्वामी/प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार सुपुर्द करे।

(रिंकी साहनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।